न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अलीगढ़।

एफ0आर0 संख्या–729/2022

CNR NO. UPAL010118892022

मन्जू देवी बनाम योगेश आदि

धारा :–147,148,452,323,354,506,420,406 भा0द0स0
व 3(2)5ए एस0सी0एस0टी0 एक्ट
थानाः गांधी पार्क, जिला अलीगढ़।

18.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादिया अनुपस्थित है। मेरे द्वारा सम्पूर्ण प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त मामले में वादिनी पर कई बार नोटिस की तामीला दोयम हो चुकी है किन्तु वादिनी आज तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। वादिनी को दिनांक 04.08.2022 से लगातार नोटिस जारी किये गये हैं। विवेचना के दौरान कोई साक्ष्य संकलित नहीं हुआ। धारा–173(2) सी0आर0पी0सी0 की रिपोर्ट न्यायालय में दौरान विवेचना दाखिल कर दी गयी कोई साक्ष्य न पाते हुये अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादिनी को उक्त मुकदमे में कोई रूचि नहीं है। इसलिये वह नोटिस की तामीला के उपरान्त आज तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। तदनुसार अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत अंतिम संख्या–67/2019 दिनांकित 10.06.2019 स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 18.01.2025 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
अलीगढ़

Digitally signed by RAKESH VASHISHT
Date: 2025.01.22 13:34:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court